## न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट वजीरपुर
## जिला सवाई माधोपुर

**पीठासीन अधिकारी— सुधारानी मीना, आर0ए0एस0**

| मुकदमा नम्बर | तारीख रजू | तारीख निर्णय |
|---|---|---|
| 23/2020 | 26.02.2020 | 15/1/26 |

धर्मपाल पुत्र रामसहाय, मीना निवासी जीवली तह0 वजीरपुर ——प्रार्थी

बनाम

सरकार जरिए तहसीलदार तहसील वजीरपुर ——अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट

उपस्थित :— श्री मोहम्मद इस्लाम, एडवोकट, प्रार्थी की ओर से

### निर्णय

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट इस आशय का प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी की सहखातेदारी की भूमि हाल ख0न0 1749/36 ख0न0 1750/36, 1749/36 ग्राम जीवली मे स्थित है। राजस्व कर्मचारियों ने गलती से उक्त भूमि मे प्रार्थी का नाम धर्मीलाल पुत्र रामसहाय दर्ज कर दिया है जबकि प्रार्थी का नाम धर्मलाल पुत्र रामसहाय है। प्रार्थी मे समस्त दस्तावेजों मे भी प्रार्थी का नाम धर्मलाल पुत्र रामसहाय है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि राजस्व रिकॉर्ड मे प्रार्थी का नाम धर्मीलाल पुत्र रामसहाय के स्थान पर धर्मलाल पुत्र रामसहाय की दुरूस्ती करने के आदेश फरमाये जावें।

प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थी ने फोटोकोपी नकल जमाबंदी संवत 2074—77 खाता संख्या 373 ग्राम जीवली, फोटोकॉपी भामाशाह कार्ड, फोटोकॉपी मतदाता पहचान पत्र, फोटोकॉपी राशन कार्ड, फोटोकापी आधार कार्ड, फोटोकापी जाब कार्ड प्रस्तुत किये है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्राथी को तलब किया गया एवं तहसीलदार वजीरपुर से रिपोर्ट चाही गई।

तहसीलदार वजीरपुर ने अपनी रिपोर्ट मे अंकित किया है कि ग्राम जीवली की वर्तमान जमाबंदी के खाता संख्या 373 मे जगदीश, धर्मीलाल, रामकेश, रामभजन पुत्र रामसहाय जाति मीना सा. देह खातेदार दर्ज है। धर्मीलाल व धर्मलाल दोनो एक ही व्यक्ति है। इस नाम का अन्य कोई व्यक्ति गॉव मे नही है। अतः धर्मीलाल के स्थान पर धर्मलाल शुद्ध किया जाना उचित है।

वकील प्रार्थी को सुना गया।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के अनुसार [illegible] करते हुए प्रार्थी का नाम शुद्ध करने का निवेदन किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudha Rani Meena
Date: 2026.02.25 15:29:18 IST
Reason: SelfAttested

बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया। नकल जमाबंदी संवत 2074—77 खाता संख्या 373 ग्राम जीवली मे प्रार्थी का नाम धर्मीलाल पुत्र रामसहाय हि0 1/4 जाति मीना, सा. देह खातेदार दर्ज है। तहसीलदार वजीरपुर ने अपनी रिपोर्ट ने प्रार्थी का नाम धर्मीलाल पुत्र रामसहाय के स्थान पर धर्मलाल पुत्र रामसहाय शुद्ध करने की अनुशंषा की है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट स्वीकार किए जाने योग्य है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट स्वीकार किया जाता है एवं नकल जमाबंदी संवत 2074—77 खाता संख्या 373 ग्राम जीवली में दर्ज नाम धर्मीलाल पुत्र रामसहाय के स्थान पर धर्मलाल पुत्र रामसहाय शुद्ध करने का आदेश दिया जाता है। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख मे दुरूस्ती की जावे। इस खाते में दर्ज अन्य प्रविष्टियां यथावत रहेंगी।

निर्णय की पालना हेतु निर्णय की सत्य—प्रतिलिपि तहसीलदार वजीरपुर को भिजवाई जावे।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 15/1/26 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुधारानी मीना)
उप जिला कलक्टर
वजीरपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sudha Rani Meena
Date: 2026.02.25 15:29:18 IST
Reason: SelfAttested